मॉप–अप (चतुर्थ) चरण काउंसिलिंग हेतु पर्यवेक्षकों के लिये दिशा–निर्देश (स्नातक)

1 पर्यवेक्षक को दिनांक 30/3/2021 को प्रातः 10:00 बजे संबंधित महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है।

2 सर्वप्रथम एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित महाविद्यालय की मॉप अप (चतुर्थ) चरण की मेरिट सूची प्राप्त करेंगे।

3 दिनांक 30/3/2021 प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों से मेरिट सूची में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कराकर उपस्थिति दर्ज करायेंगे जिसमें उपस्थिति का समय अनिवार्य रूप से अंकित किया जावेगा।

4 निर्धारित समयवाधि में उपस्थित छात्रों की मेरिट सूची दिनांक 303/2021 को दोपहर 03:00 बजे महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा उपस्थिति पंजी के साथ संचालनालय आयुष की ई–मेल आईडी jdayush@mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाये।

5 यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित रिपोर्टिंग समय की समाप्ति के उपरान्त महाविद्यालय में उपस्थित होता है तो 03:00 बजे तक तैयार सूची में उसका नाम सबसे नीचे जोड़ा जायेगा तथा ऐसे अभ्यिर्थियों को 02:00 बजे तक उपस्थित हुऐ अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरांत ही सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

6 संबंधित महाविद्यालय की रिक्त सीटों की जानकारी एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध है।

7 दिनांक 30/3/2021 को सायं 04:00 बजे से मेरिट सूची अनुसार छात्रों को नियमानुसार ऑनलाइन प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 रिपोर्टेड अभ्यर्थियों को मैरिट सूची अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। प्रवर्गवार/संवर्गवार रिक्त सीटों तथा नवीन प्रवेशानुमति प्राप्त सीटों पर नियमानुसार प्रवर्गवार/संवर्गवार सीट आवंटन किया जायेगा। प्रवर्गवार/संवर्गवार सीटें रिक्त रहने पर स्नातक प्रवेश नियम–2020 के नियम–5.8 के अनुसार सीट परिवर्तन की कार्यवाही कर सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

9 बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता प्रवेश नियम 6.1 अनुसार होगी।

10 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 15/1/2021 अनुसार अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित नीट परसेंटाईल सीमा 40 प्रतिशतक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को तथा आरक्षित वर्ग हेतु 30 प्रतिशतक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाये। दिव्यांगजन (PwD) अभ्यर्थियों हेतु पात्रता अनारक्षित वर्ग हेतु 35 प्रतिशतक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 30 प्रतिशतक होगी।

11 प्रवेश प्रक्रिया हेतु पोर्टल दिनांक 30/3/2021 को रात्रि 11:59 बजे तक खुला रहेगा। अतः प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में संपन्न कराना सुनिश्चित किया जावें।

12 पर्यवेक्षक समस्त काउंसिलिंग कार्यवाही नियमानुसार अपनी देखरेख में संपादित कराना सुनिश्चित करें तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रिपोर्ट आयुक्त, संचालनालय आयुष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

13 किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर **डॉ0 सुशील कुमार तिवारी,** उप संचालक, संचालनालय आयुष से **दूरभाष कमांक–9425150803**, **डॉ0 अरविंद पटेल**, औषधालय अधीक्षक से **दूरभाष कमांक–7974758826** पर एवं डॉ0 मो0 फारूख, काउंसिलिंग समिति सदस्य से दूरभाष कमांक–7828550208 तथा तकनीकी सहायता हेतु **एम.पी. आनलाईन की आयुष हेल्पलाईन कमांक–0755–6720206** पर संपर्क किया जावें।

14 **उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने अथवा प्रवेश प्रकिया में यदि कोई गड़बडी पाये जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।**

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

27/3/2021

उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0